

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 786]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2015/अग्रहायण 24, 1937

No. 786]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 973(अ).— कर्मचारी राज्य बीमा निगम(केंद्रीय) नियमावली, 1950 में आगे संशोधन हेतु कुछेक नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श के पश्चात, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा के उप धारा(1) की अपेक्षानुसार उससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है तथा एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि सरकारी राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात, उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा,

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त होता है तो केंद्रीय सरकार द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।

यदि कोई आपत्ति तथा सुझाव हों, तो अवर सचिव, सामाजिक सुरक्षा प्रभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110119(e-mail:ajay malik@nic.in) को संबोधित किया जाए।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम(केंद्रीय) संशोधन नियमावली, 2015 कहा जाए।

2. कर्मचारी राज्य बीमा(केंद्रीय) नियमावली, 1950 में नियम 52 में “एक सौ रूपए” शब्दों के स्थान पर “एक सौ सैंतीस रूपए” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

[सं. एस-38012/01/2015-सा.सु.-1]

जी. वेणूगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियमावली अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ.212, दिनांक 22 जून, 1950 द्वारा भारत का राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप खंड(I) में प्रकाशित की गई थी तथा अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.667(ड.), दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 द्वारा अंतिम संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2015

G.S.R. 973(E).— The following draft of certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, which the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, proposes to make in exercise of the power conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification published, are made available to the public;

Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above, shall be considered by the Central Government.

The objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary, Social Security Division, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110119 (e-mail: ajay.malik@nic.in).

Draft rules

1. These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2015
2. In rule 52 for the words 'rupees one hundred' the words 'rupees one hundred thirty seven' shall be substituted in the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950,

[No. S-38012/01/2015-SS-I]

G. VENUGOPAL REDDY, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide, notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and last amended vide notification number G.S.R. 667(E), dated the 1st October, 2013.